

# फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी— रामा

विपक्षी: पुनाराम

किस्म मुकदमा:— प्रा.पत्र

प्रकरण संख्या 9/19

दिनांक 04.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 उपस्थित प्रकरण मूल वाद 18/19 में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार होने से मूल वाद न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। प्रकरण का मूल वाद खारिज होने से अब अस पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः इस पत्रावली को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास युनायसा गया।

प्रकरण फेसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ.सौम्या झा)  
आई.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी,  
गिर्वा—उदयपुर

